# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 96/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/233

| प्रार्थीः– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| मुकेश पुत्र सेवापुरी, जाति गोस्वामी, निवासी सावलता, तहसील रानी, जिला पाली | | 1. छतरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपुत निवासी सावलता तहसील रानी, जिला पाली<br>2. लक्ष्मण पुत्र जैताराम, जाति सिरवी, निवासी सावंलता तहसील रानी जिला पाली<br>3. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सावंलता तहसील रानी, जिला पाली राज. |

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भैराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवंत सांखला।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 17/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा मिसल संख्या 12/1998–99 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1671 दिनांक 26.01.1999 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाडी है तथा उसमें से रास्ता जाता है एवं जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे की कोई मिसल जारी नहीं कि गयी है ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाये सीधे तौर पर पट्टा बुक से पट्टा जारी कर दिया। साथ ही उक्त पट्टे के पड़ौस देखने मात्र से ही यह प्रतीत होता है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि का नहीं है एवं पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। अर्थात् उपरोक्त प्रकरण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित भी है। हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट में भी यह माना कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि गैर मुमकिन नाडी से सम्बन्धित है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि ग्राम पंचायत ने विधिवत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में है तथा आबादी भूमि में होने से अप्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा मिसल संख्या 12/1998–99 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1671 दिनांक 26.01.1999 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा गैर मुमकिन नाडी एवं रास्ते की भूमि पर जारी किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2021 के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि कि किस्म गैर मुमकिन नाड़ी है, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त हस्तगत पट्टे के पड़ौस के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया हुआ। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है। जिसका परिक्षण एवं वैद्यता को जांचने के लिए ग्राम पंचायत के रेकर्ड की उपलब्धा वांछनिय है, ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड में केवल पट्टा बुक है मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। साथ ही मौका रिपोर्ट के अनुसार भी प्रश्नगत पट्टे की आराजी आबादी भूमि में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिकाअ में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा मिसल संख्या 12/1998–99 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1671 दिनांक 26.01.1999 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली